संख्या– 639 /9/07/XIV-2/2007

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त
उत्तरांचल, काशीपुर।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 20 सितम्बर, 2007

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की जिला योजना की गन्ना विकास की योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के आयोजनागत पक्ष की जिला योजना में अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0) हेतु गन्ना विकास की योजना के अन्तर्गत कुल परिव्यय 4.25 लाख के सापेक्ष जनपदवार स्वीकृत परिव्यय की सीमान्तर्गत रू0 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) की निम्नलिखित शर्तो के अधीन संलग्नक में उल्लिखित जनपदों को उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार, वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2– इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से एवं अधिक व्यय न किया जाए।

3– स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन का उपलब्ध कराने के उपरान्त ही इस धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण एवं व्यय किया जायेगा ।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय तभी किया जाए जब सम्बन्धित योजना में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा परिव्यय अनुमोदित करा लिया जाए।

5– स्वीकृत धनराशि केवल चालू एवं पूर्व अनुमादित कार्यो/मदों पर ही व्यय की जाए तथा किसी ऐसे कार्य/मद पर धनराशि व्यय न की जाए जो योजना में स्वीकृत नही है।

6– स्वीकृत धनराशि का उपयोग यदि अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाना है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनसे अधिक व्यय की वसूली की जायेगी।

7– स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं योजनाओं की सीमा तक ही किया जाए।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्थिति की वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाए।

9– स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/अपर सचिव (गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग) उत्तरांचल शासन तथा महालेखाकार, उत्तरांचल को भिजवाना सुनिश्चित करें।

10– स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्यों/मद पर व्यय न की जाए जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी प्रतिषेधित हो अथवा शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति न ली गयी हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

11– उक्त व्यय वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय व्यय अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म,–00–796–जनजाति उपयोजना, 01–जिला योजना 9101–गन्ना विकास की योजना, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–151(I)/वित्त अनुभाग–4/2007, दिनांक 12.9.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–634 (1)/9/07/XIV–2/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड देहरादून।
2– जिलाधिकारी नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर।
3– कोषाधिकारी नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर।
4– सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर।
5– वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
6– बजट राजकोषीय नियोजन संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
7– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9– निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-- 639 /9/07/XIV-2/2007 दिनांक 20 सितम्बर, 2007 का संलग्नक
अनुदान संख्या-31
2401--फसल कृषि कर्म
796--जनजाति उपयोजना
91--जिला योजना,
9101--गन्ना विकास की योजना
20--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

(धनराशि हजार रुपये)

क्र0 सं0	कार्यक्रम	उधमसिंहनगर	नैनीताल	हरिद्वार	देहरादून	योग
1	गन्ना विकास की योजना					
	1--उन्नतशील गन्ना बीज उत्पादन की योजना	50	----	----	----	50
	2--बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम	150	----	----	----	150
	3--पेड़ी प्रबन्ध कार्यक्रम	50	----	----	----	50
	योग--	250	----	----	----	250

(दो लाख पचास हजार रुपये मात्र)

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनु सचिव।